206

अति महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 717 /IV(2)-श0वि0–12–27(जेएनएनयूआरएम) / 10

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 18 मई, 2012

विषयः **राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार / पुनर्निमाण हेतु जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री आर0के0भटनागर, अनु सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, जेएनएनयूआरएम निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या–K-14012/2(102)/2006-NURM-III, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2011 को आयोजित सी0एस0एम0सी0 की बैठक में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार / पुनर्निमाण हेतु **₹ 1182.27 लाख** की परियोजना लागत अनुमोदित की गयी है।

2– उक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–59(9) / PF-I / 2011–1760, दिनांक 30 मार्च, 2012 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 636 / IV(2)-श0वि0–11–27(जे0एन0एन0यू0आर0एम0) / 10, दिनांक 13 मई, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत राजभवन नैनीताल के जीर्णोद्धार / पुनर्निमाण के लिए परियोजना लागत **₹ 1182.27 लाख** के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु **केन्द्रांश के रूप में ₹ 236.45 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष समानुपातिक देय राज्यांश के रूप में ₹ 59.11 लाख इस प्रकार कुल ₹ 295.56 लाख (₹ दो करोड़ पिचानवे लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

(1) उक्त धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था **अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) योजना के कियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–K-14012/2(102)/2006-NURM-III, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 तथा

संख्या–59(9)/PF-I/2011–1760, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा राजभवन नैनीताल की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए सक्षम स्तर से एवं अनुमन्य दरों पर जीर्णोद्धार/पुनर्निमाण का कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगाा। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिषा–निर्देषों का अनुपालन क़ार्यदायी संस्था द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(7) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(8) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय **वर्ष 2012–13** के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13,** लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे **₹ 233.50 लाख, अनुदान संख्या–30** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ– 05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे **₹ 53.20 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे **₹ 8.86 लाख** की धनराशि डाला जायेगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–68/XXVII(2)/2012, दिनांक 04 मई,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5 यह आदेश वित्त विभाग के के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार क्रमशः अलॉटमेन्ट आई.डी.–S1205130950, S1205300951 एवं S1205310952 के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या–717/IV(2)-श0वि0–11–27(जेएनएनयूआरएम)/10, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राजभवन, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदरी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
5– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
6– जिलाधिकारी, नैनीताल।
7– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद नैनीताल।
12– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।